

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:प 8 (ड)( )विधि/मनो/डीएलबी/23/ 572

दिनांक 14-3-2023

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 2090 दिनांक 17.09.2020 में नगरपालिका सांगोद में क्रम संख्या 01 पर अंकित मनीष कुमार घेंघट (वाल्मिकी) पुत्र श्री जादूलाल के स्थान पर श्री गोविन्द प्रसाद मेहरा आ0 मांगीलाल (पता-मेहरो के मन्दिर के पीछे, सांगोद जिला कोटा)(वर्ग- एस0सी0 ) मो. 9928597947 को एतद द्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा )

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प 8 (ड)( )विधि/मनो/डीएलबी/23/ 573- 585  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 14-3-2023

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, कोटा।
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग कोटा।
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सांगोद को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी